Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 128/2022

Zubeda Khatoon ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	07.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत भू–विवाद अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–15/2021–22 में दिनांक–11.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–किरोरा, थाना सं0–06, अंचल–बलरामपुर, खाता सं0–66, खेसरा सं0–1421, रकवा–01 डी0 एवं खेसरा सं0–1422, रकवा–01 डी0, कुल–02 डी0 सहित खेसरा सं0–1432, खेसरा सं0–1435 एवं 1436, रकवा क्रमशः 500 वर्गकड़ी, 0.1 डी0 एवं 500 वर्गकड़ी कुल–04 डी0 भूमि विवादित है। उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर करते हुए कहा गया कि उक्त 0.4 डी0 भूमि उनके द्वारा विक्रय संलेख सं0–3462 दिनांक–02.03.2019 द्वारा अब्दुल कलाम एवं अन्य से क्रय करते हुए नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। उत्तरवादियों ने निम्न न्यायालय में खेसरा सं0–1421 एवं 1422 कुल रकवा–0.2 डी0 भूमि अपीलार्थियों द्वारा बलपूर्वक दखल किये जाने के विरूद्ध वाद दायर किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये और बिना इनके पक्षों की सुनवाई किये दिनांक–11.04.2022 को इनके विरूद्ध एक–पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित एक–पक्षीय आदेश खंडित होने योग्य है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खाता सं0–66, खेसरा सं0–1421 एवं 1422 से 01–01 डी0 कुल–02 डी0 भूमि अपीलार्थी को बासगीत पर्चा वाद सं0–14/2019–20 से दिनांक–06.12.2019 को इनके पक्ष में परवाना निर्गत है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अपने स्व0 पति के काल से ही आवासीय रूप से दखलकार चली आ रही है। इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज है। भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2012 में उक्त भूमि पर इन्हें इंदिरा आवास भी स्वीकृत है। उत्तरवादी उक्त भूमि पर कभी दखलकार नहीं रहे हैं। निम्न न्यायालय द्वारा	

Web Copy Not Official.

		इन तथ्यों का बिना अवलोकन किये ही एक–पक्षीय आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन क्रमशः	
	लगातार 07.12.2023	है कि प्रश्नगत भूमि इनके द्वारा क्रय की गई है। जो मुख्य सड़क पर जाने हेतु इनके द्वारा उपयोग किया जाता है। अपीलार्थी की बहू तसोना खातुन द्वारा उत्तरवादी सं0–02 के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किये जाने के फलस्वरूप इन्हें नौ महीने तक जेल में रहना पड़ा। जिससे अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं0–04, 05 ने प्रश्नगत भूमि पर बलपूर्वक दखल करते हुए फूस–टाटी का घर बना दिया। ग्रामीण पंचायतों द्वारा इसका कोई फलाफल नहीं निकल सका। फलतः इन्हें निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करना पड़ा। उक्त खाता, खेसरा की भूमि अमीन के द्वारा नापी किये जाने पर नक्शा में 0.6 डी0 भूमि है। जबकि खतियान में 0.4 डी0 दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा जाली बासगीत पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं0–04 एवं 05 को सूचना निर्गत की गई थी किन्तु निम्न न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। फलतः एक–पक्षीय आदेश पारित किया गया जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का बासगीत पर्चा के माध्यम से प्राप्त परवाना तथा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा वर्ष 2019 में प्राप्त विक्रय संलेख के आधार पर दावा किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि तसहक के वारिशान इद्रीश वगैरह की है। उक्त खाता–खेसरा से रकवा–0.2 डी0 भूमि किस्म/दखलकार मकानमय सहन निश्चित चौहद्दी के साथ BPPHT वाद सं0–14/2019–20 द्वारा मोसमात जुबेदा खातुन, पति–स्व0 अब्दुल मजीद, साकिन–बागडोगरा, थाना–बलरामपुर, जिला–कटिहार के पक्ष में बासगीत पर्चा निर्गत है एवं पर्चाधारी के नाम जमाबंदी सं0–2776 दर्ज है तथा वर्ष 2019–20 तक भू–लगान भुगतान है। उक्त भूमि पर इन्हें इंदिरा आवास योजना स्वीकृत है। निम्न न्यायालय आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा अपीलार्थी के पक्षों की सुनवाई किये बगैर एक–पक्षीय आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी वैध पर्चाधारी होने के नाते प्रश्रय प्राप्त रैयत हैं जिनके हितों की रक्षा की जानी आवश्यक है। इनके दखल–कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान न्यायोचित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो विधिसंगत नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी के दावे को	

Web Copy. Not Official.

		संपुष्ट करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.